कार्यालय– जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद।

पत्रांक–मु0चि0अ0 / त0नि0प्र0 / 2020–21 / 70

दिनांक–05 अप्रैल, 2021

–:कार्यालय ज्ञापः–

जनपद में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम संचालित है जिसका मुख्य उद्देश्य जनपद को तम्बाकू मुक्त बनाया जाना है। समय – समय पर शासन द्वारा निर्देश प्राप्त कराये जा रहे है कि जनपद के समस्त सरकारी कार्यालयों / विद्यालयों को धूम्रपान / तम्बाकू मुक्त घोषित किया जाये एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम–2003 की धाराओं का क्रियांवयन जनपद में कराया जाये। जिसके संबंध मे अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या–मु0चि0अ0 / त0नि0प्र0 / कोटपा / 2020–21 / 4555 दिनांक– 06 जनवरी, 2021 के क्रम में सभी कार्यालयाध्यक्षों एवं अन्य को निर्देशित किया गया था कि कोटपा एक्ट 2003 का उचित क्रियांवयन शत–प्रतिशत कराना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त के सन्दर्भ में जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप अपने–अपने कार्यालयों में कोटपा एक्ट का उचित क्रियांवयन कराना सुनिश्चित करें तथा कार्यालय में धूम्रपान / तम्बाकू सेवन करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों आदि का चालान,जुर्माना कर उक्त की रिपोर्ट पत्र में दिये गये प्रारूप पर प्रत्येक माह कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फर्रूखाबाद को ई–मेल **dtcfbd@gmail.com** पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। इस हेतु (श्री सूरज दुबे जिला सलाहकार राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण के मो0न0–9473515546 से तकनीकी सहयोग लिया जा सकता है) ।

प्रारूप

क्र0सं0	धारा 4			धारा 6 (क)			धारा 6 (ख)			धारा 5	धारा 7	जुर्माना द्वारा प्राप्त कुल धनराशि
	कुल किये गये चालान एवं जुर्माना की संख्या	न्यायालय को प्रेषित प्रकरणों की संख्या	चालान जुर्माना द्वारा प्राप्त धनराशि	कुल किये गये चालान एवं जुर्माना की संख्या	न्यायालय को प्रेषित प्रकरणों की संख्या	चालान जुर्माना द्वारा प्राप्त धनराशि	कुल किये गये चालान एवं जुर्माना की संख्या	न्यायालय को प्रेषित प्रकरणों की संख्या	चालान जुर्माना द्वारा प्राप्त धनराशि	न्यायालय को प्रेषित प्रकरणों की संख्या	न्यायालय को प्रेषित प्रकरणों की संख्या	

उपरोक्त निर्देशों का शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

5.03/4

जिलाधिकारी,
फर्रूखाबाद।

पत्रांक व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2. राज्य नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण सेल, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि दर्शाये गये प्रारूप मे प्रत्येक माह रिपोर्ट भरकर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
फर्रूखाबाद।